UPSH010016032024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज, (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), कोर्ट संख्या–02, शाहजहॉपुर।

परिवाद संख्या–26/2024

मुकेश बनाम पप्पू एवं अन्य।

दिनांक–31.05.2025

आज यह पत्रावली अभियुक्तगण को तलब किये जाने के सम्बन्ध में आदेश हेतु नियत है।

संक्षेप में परिवाद–पत्र के अनुसार परिवादी का कथन हैं कि उसने अरविन्द सहाय का तालाब पचास हजार सलाना ठेके पर लिया था, जिसमें उसने मछली पालन का कार्य किया था। दिनांक 28.01.2023 को शाम करीब 05:00 बजे पप्पू, सुभाष, बदला व नन्हे ने एकराय होकर उसके तालाब में घुसकर जाल डालकर मछलियॉ पकड़कर बोरियों में भरकर रखी थीं तथा अन्य मछलियॉ भी जाल डालकर तालाब से पकड़ रहे थे। उसी समय वह, सुरेश व रामनिवास आदि मौके पर पहुॅच गये तथा उक्त लोगों से मछली पकड़ने का विरोध किया और बोरियों में भरी हुयी मछली देने को कहा तो उक्त सभी लोगों ने उसको जातिसूचक गालियॉ देकर सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हुये जान से मारने की धमकी दी। उसने, सुरेश व रामनिवास ने मुल्जिमान से मछलियॉ लेने की कोशिश की तो उक्त सभी लोगों ने लात–घूसों से मारा तथा अपनी गाड़ी में मछलियॉ रखकर व गन्दी–गन्दी गालियॉ व जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये। उक्त लोग उसके तालाब से करीब तीन लाख रूपये की मछली चोरी करके ले गये और उसका नुकसान किया। वह थाने गया व पुलिस अधीक्षक एवं अन्य उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिये, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुयी। दिनांक 01.02.2024 को प्रातः 09:00 बजे वह अपने घर पर था, तभी उपरोक्त मुल्जिमान आये और शिकायते वापस करने व रजामन्दी करने हेतु दबाव बनाया। उसने मना किया तो उक्त लोगों ने उसके घर में घुसकर लात–घूसों से मारापीटा व आईन्दा जान से मारने की धमकी देकर मोटर साइकिलों से भाग गये।

परिवादी की ओर से धारा–200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत स्वयं अपना सशपथ साक्ष्य प्रस्तुत किया गया तथा धारा–202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पी0डब्लू0–1 सुरेश एवं पी0डब्लू0–2 रामनिवास को परीक्षित कराया गया।

परिवादी ने अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 में साक्ष्य दिया है कि ''दिनांक 28.01.2023, शाम के पॉच बजे की बात है। मैंने पचास हजार रूपये में तालाब किराये पर लिया था, मछली पालन हेतु। नन्हे, पप्पू, बादल व सुभाष ने मेरे तालाब से मछली चुरा ली। मैंने मन किया तो चारों मुण्े गन्दी–गन्दी गालियॉ देने लगे व कहा कि चमट्टा सुअर क्या कर लेगा। मुझे मारापीटा व पकड़ी गयी मछलियों को पिकअप में डालकर चले गये। मैंने थाने पर तहरीर दी, सुनवाई नहीं हुई। जाहिरा चोट न होने के कारण, डॉक्टरी नहीं कराई। दिनांक 01.02.2024 को चारों मुल्जिमान मेरे घर पर आये व गाली देने लगे तथा धमकी दी कि यदि राजीनामा नहीं किया तो मारेंगे।''

परिवादी की ओर से परीक्षित साक्षीगण पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 द्वारा परिवादी के कथन का समर्थन किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ऐसा परिलक्षित होता है कि विपक्षीगण द्वारा, परिवादी के तालाब से मछलियॉ पकड़कर चोरी की गयी तथा परिवादी के साथ गाली–गलौच व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर साशय अपमानित करते हुये, मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी देकर अभित्रास कारित किया गया।

अतः परिवादी की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य अन्तर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 व उसकी ओर से धारा–202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराये गये साक्षीगण पी0डब्लू0–1 व पी0डब्लू0–2 तथा परिवाद–पत्र के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, विपक्षीगण

Digitally signed by GARIMA SINGH
Date: 2025.05.31 15:50:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पप्पू, सुभाष, बदला एवं **नन्हे** के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अन्तर्गत धारा–**323, 379, 504, 506** भा0दं0सं0 व धारा–**3(2)Va** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का बनता पाया जाता है। अतः विपक्षीगण **पप्पू, सुभाष, बदला** एवं **नन्हे,** धारा–**323, 379, 504, 506** भा0दं0सं0 व धारा–**3(2)Va** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण **पप्पू, सुभाष, बदला** एवं **नन्हे** को धारा–**323, 379, 504, 506** भा0दं0सं0 व धारा–**3(2)Va** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत परीक्षण हेतु जरिये सम्मन नियत तिथि के लिए तलब किया जाता है।

परिवादी सूची गवाहान प्रस्तुत करे एवं तलबाना/आवश्यक पैरवी अन्दर सात दिन करे।

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांकः 25.06.2025 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश/
स्पेशल जज (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
कोर्ट संख्या–02, शाहजहॉपुर।